



Neutral Citation No-2026:AHC:3407

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4426 वर्ष 2025

भगवान और एक और याचिकाकर्ता

बनाम

समेकन के उप निदेशक और 5 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अमल दरसिंह, गीतांजलि, जितेंद्र सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षी के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए, संशोधन संख्या-0391 वर्ष 2024 में चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित दिनांक 19.10.2024 के आदेश का उल्लंघन करते हुए, अपील संख्या-0234 वर्ष 2024 में चकबंदी के निपटान अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 08.04.2024 के आदेश की पुष्टि करते हुए, चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 13.03.2023 के आदेश को उलट दिया गया है, उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत समेकन अधिनियम (संक्षिप्तता में यूपी.सी.एच. अधिनियम) की धारा 21(1) के तहत, जिसके द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता के चक को संशोधित किया गया है।
3. प्रस्तुत रिट याचिका चक आवंटन कार्यवाही से उत्पन्न हुई है। अनंतिम चकबंदी योजना के दौरान, याचिकाकर्ता के हित में पूर्ववर्ती चक संख्या-128 को 3 स्थानों पर प्रस्तावित किया गया है। प्लॉट संख्या-525 पर पहला चक, प्लॉट संख्या-478, 489 पर दूसरा चक और प्लॉट संख्या-508 पर तीसरा चक। इसी तरह विपक्षी दल संख्या-4 पर चक संख्या-735 का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। चक के आवंटन से व्यथित होने के बाद, प्रतिपक्षी संख्या-4 ने यूपी.सी.एच. अधिनियम की धारा 21(1) के तहत आपत्ति दर्ज की है, जिसे केस संख्या-177 (विश्वनाथ बनाम राज्य) के रूप में दर्ज किया गया है। चकबंदी अधिकारी ने दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13.03.2023 के आदेश के माध्यम से उपरोक्त आपत्ति को खारिज कर दिया। व्यथित होने के कारण, प्रतिपक्षी ने अपील दायर की है। चकबंदी के निपटान अधिकारी ने दिनांक 08.04.2024 के आदेश के माध्यम से अपील की अनुमति दी है, जिसके तहत प्लॉट संख्या-508 पर याचिकाकर्ता को आवंटित तीसरे चक को निकाल लिया गया है और इसके बदले में उसे प्लॉट संख्या-489/2 पर समान क्षेत्र आवंटित किया गया है। समेकन के निपटान अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा पसंद किए गए पुनरीक्षण को दिनांक 19.10.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, जो उक्त आदेश की पुष्टि करता है, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है।

4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के साथ-साथ स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद, यह स्पष्ट है कि प्लॉट संख्या-508/2 पर प्रस्तुत याचिकाकर्ता को आवंटित तीसरे चक को प्लॉट संख्या-489/2 पर स्थानांतरित कर दिया गया है और कहा गया है कि प्लॉट संख्या-508/2 को प्रतिपक्षी संख्या-4 के चक को आवंटित किया गया है। अपील की अनुमति देते हुए, चकबंदी के निपटान अधिकारी ने देखा कि याचिकाकर्ताओं को प्लॉट संख्या-508/2 क्षेत्र में 0.016 हेक्टेयर क्षेत्र में तीसरा चक आवंटित किया गया है, जो कि बहुत छोटी जोत है। इसलिए, याचिकाकर्ता के तीसरे चक को उसके दूसरे चक में स्थानांतरित करना उचित होगा, जिसे प्लॉट संख्या-478 और 489/2 पर उकेरा गया है। इस मामले को देखते हुए, चकबंदी के निपटान अधिकारी ने प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं के भूखंडों को मजबूत करने का प्रयास किया है। तदनुसार, प्लॉट संख्या-508/2 का मूल्यांकन 0.016 हेक्टेयर मापने वाला प्लॉट संख्या-489/2 पर स्थानांतरित कर दिया गया है और याचिकाकर्ता के चक को तीन के स्थान पर दो स्थानों पर प्रस्तावित किया गया है। चकबंदी के उप निदेशक ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में तीसरे चक की अनावश्यक नक्काशी पर विचार करते हुए, चकबंदी के निपटान अधिकारी द्वारा पारित आदेश की सही पुष्टि की है। चकबंदी के निपटान अधिकारी के साथ-साथ चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता, विकृति या अनियमितता नहीं है। अभिलेखों पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह प्रदर्शित करता हो कि प्रस्तुत याचिकाकर्ता कैसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, या यदि आक्षेपित आदेशों के कारण उनके लिए न्याय का कोई हानि/क्षति होने की संभावना है।



7. परिणामस्वरूप, प्रस्तुत रिट याचिका, गलत और योग्यता से रहित होने के कारण, लागत के रूप में बिना किसी आदेश के **खारिज** की जाती है।

जनवरी 7, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)